



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052026-272209
CG-DL-E-02052026-272209

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2089]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2089]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2026

सं. 14/2026-27

विषय: आइटीसी एचएस, 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं की न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) शर्त में विस्तार के संबंध में।

का.आ. 2170(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नीति परिपत्र सं 04/2025-26 दिनांक 03.09.2026 के साथ पठित अधिसूचना सं. 26/2025-26 दिनांक 22.08.2025, अधिसूचना सं. 69/2025-26 दिनांक 31.03.2026 के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं की न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) शर्त को 30.09.2026 तक की अवधि के लिए बढ़ाती है जिसमें अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी जो अधिसूचना सं. 26/2025-26 दिनांक 22.08.2025 में निर्धारित थीं।

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) कोड 48059100, 48059200, 48059300, 48109200 और 48109900 के तहत वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड के आयात पर लगाई लागत, बीमा और भाड़ा (सीआइएफ) मूल्य पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) 67220/- रुपए प्रति मीट्रिक टन को 30.09.2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एम-25/पीसी-2 (ए)/ई-43352]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

No. 14/2026-27

Subject: Extension in Minimum Import Price (MIP) Condition of specific items covered under Chapter 48 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy)-regarding.

S.O. 2170(E). — : In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in continuation of Notification No. 26/2025-26 dated 22.08.2025, Notification No. 69/2025-26 dated 31.03.2026 read with Policy Circular No. 04/2025-26 dated 03.09.2026, the Central Government hereby extends the Minimum Import (MIP) condition of specific items covered under Chapter 48 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy), for a period up to 30.09.2026 with all other terms and conditions remaining same as in the Notification No. 26/2025-26 dated 22.08.2025.

Effect of the Notification: Minimum Import Price (MIP) @ INR 67,220 per MT on Cost, Insurance, and Freight (CIF) value, imposed on import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) under ITC (HS) Codes 48059100, 48059200, 48059300, 48109200 and 48109900 has been extended for the period up to 30.09.2026.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-25/PC-2(A)/E-43352]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade&
Ex-officio Addl. Secy.